# न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

## बईजलास– श्री अरूण कुमार पुरोहित,आई.ए.एस.

**रसद मामला संख्या– 02/2025**

**जी.सी.एम.एस.पोर्टल नम्बर–2025/02**

| प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थी |
|---|---|---|
| राजस्थान सरकार जरिये शिवराम चौधरी, प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) जिला रसद कार्यालय, नागौर | | श्री सादिक पुत्र श्री सुल्तान खां निवासी–सालासर बालाजी मार्केट बाजरवाड़ा,नागौर |

**उपस्थिति :–**

1. प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) श्री शिवराम चौधरी।
2. अप्रार्थी बावजूद तामिल अनुपस्थित।

**:: निर्णय ::**

**दिनांक :–16.04.2025**

प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में जब्तशुदा 01 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस को राजसात करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी को नोटिस जरिऐ रजिस्टर्ड डाक से भेजा गया।

अप्रार्थी ने दिनांक 24.02.2025 को प्रार्थना–पत्र का जबाब पेश कर निवेदन किया हैं कि प्रकरण में जो गैस टंकी जब्त की गई हैं,उससे मेरा कोई लेना देना नहीं हैं। मैं अपनी दुकान पर निरन्तर व्यववसायिक गैस टंकी का उपयोग करता हूँ। एक दिन रसद विभाग के अधिकारी आये ओर मेरी दुकान के बाहर गैस टंकी जब्त की हैं,जो कि मेरी नहीं होने की सूचना बताया लेकिन उन्होंने कोई अभियान का कहकर मेरे से दो–तीन पेपर पर हस्ताक्षर करवाये जिसमें क्या लिखा मुझे पता नहीं हैं। मैं व्यवसायिक गैस टंकी का ही उपयोग करता हूँ। इसलिए निवेदन हैं कि मेरे विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए की कार्यवाही बन्द करने की कृपा करें।

अप्रार्थी आज अनुपस्थित हैं।

प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) ने बहस में कथन किया कि घरेलू गैस की व्यवसायिक दुरूपयोग की रोकथाम बाबत नागौर शहर एवं आसपास क्षेत्र में श्री देवाराम सारण प्रवर्तन अधिकारी,नागौर व श्री रामनिवास बेरवाल प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 07.01.2025 को सालासर बालाजी (खाटूवाला) मार्केट के दाहिनी तरफ की अंतिम दुकान बाजरवाड़ा,नागौर पहुंचकर आकस्मिक जांच की कार्यवाही की, तो मौके पर श्री सादिक पुत्र सुल्तान खां उपस्थित मिले तथा उनके द्वारा दुकान का निरीक्षण करवाया। मौके पर श्री सदिक द्वारा आभूषण बनाने का कार्य किया जाना पाया गया। श्री सदिक के घरेलू गैस के भण्डारण एवं व्यवसायिक उपयोग से सम्बन्धित किसी प्रकार के दस्तावेज व अनुज्ञापत्र के बारे में पूछताछ करने पर इनके पास घरेलू गैस के भण्डारण से सम्बन्धित किसी प्रकार का आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र नहीं होना स्वीकार किया। श्री सादिक द्वारा किसी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं करने पर व्यवसायिक दुरूपयोग किये जा रहे घरेलू रसोई गैस

कलक्टर नागौर

सिलेण्डर मय गैस को अवैध मानते हुए मौके पर जब्त सरकार किया गया। जब्त किये गये सिलेण्डर का विवरण निम्नानुसार हैं :–

| क्र.सं. | नाम कम्पनी | एस.आर.नं. | कुल वजन | रिक्त वजन | शुद्ध गैस |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बीपीसीएल | 1508985 | 20.8 किग्रा | 15.8 किग्रा | 05 किग्रा |
| | | | | | |

उपरोक्त 01 गैस सिलेण्डर मय गैस मौके पर जब्त सरकार कर मैसर्स गहलोत गैस नागौर के प्रतिनिधि श्री मोहम्मद समीर की सुपुर्दगी में दिया गया। इस प्रकार श्री सादिक का यह कृत्य लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफसप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर,2000 के क्लॉज 3 (c), 7(1)(a),(b),(c) का स्पष्ट उल्लघंन हैं जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रकरण में 01 गैस सिलेण्डर मय गैस को धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत, समपहरण (Confiscation) के आदेश प्रदान किया जावें।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का जबाब दिनांक 24.02.2025 को पेश जब्त की गई टंकी उनकी नहीं होना जाहिर किया हैं,जबकि फर्द जब्ती पर अप्रार्थी स्वयं के हस्ताक्षर हैं। इसलिए अप्रार्थी के यह कथन स्वीकार योग्य नहीं हैं। अप्रार्थी के पास घरेलू गैस के भण्डारण एवं व्यापार से सम्बन्धित किसी प्रकार के दस्तावेज व अनुज्ञापत्र होना नहीं पाया गया हैं। इसलिए जब्त सामग्री राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना–पत्र प्रार्थी का स्वीकार किया जाकर प्रकरण मे जब्तसुदा 01 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस को धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत, समपहरण (Confiscate)किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। उक्त जब्त सुदा 01 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस का कीमतन निस्तारण करने के जिला रसद अधिकारी,नागौर को निर्देश दिये जाते हैं। उक्तानुसार प्राप्त राशि राजकीय राशि घोषित की जाती हैं। जिला रसद अधिकारी,नागौर को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 16.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार पुरोहित)
जिला कलक्टर
अनागौर